संख्या-12/1/14/98-का-प्रसको/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,
अलीगंज, लखनऊ।

2. महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

3. निदेशक,
सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ **लखनऊ : दिनांक : 03 जुलाई, 2014**

विषय:-राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप प्रदेश के सरकारी सेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 9.12.2011 को पुनरीक्षित करते हुए शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है-

(1) वेतनमान रूपये-6500-10500 (पुनरीक्षण पूर्व) तथा उक्त वेतनमान से उच्च वेतनमान के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों तथा उच्च अधिकारियों को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किये जायें।

(3) लिपिकीय संवर्ग के अन्य कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के माध्यम से प्रदान किया जाय। इस हेतु उक्त संस्थान को नोडल संस्थान नामित किया जाता है।

(4) लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण से भिन्न अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के माध्यम से प्रदान किये जायें।

2. अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1/14/98(1)-का-प्रसको/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र यादव
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in